न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, आर.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 47 / 2017
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. पृथ्वीराज आयु 45 वर्ष आत्मज श्री शिवनारायण उर्फ श्योनारायण उर्फ श्योकरण आत्मज श्री मामराज, मेघवाल, जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. श्रीमती सन्तोष धर्मपत्नी स्व. श्री कानाराम,
3. विनोद एवं
4. बंटीराम आत्मजन स्व. श्री कानारम, मेघवाल, जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....आवेदक

बनाम

1. शिवनारायण उर्फ श्योनारायण उर्फ श्योकरण आत्मज श्री मामराज, मेघवाल, जोधेवाला,
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर
3. श्रीमती सुपारी आत्मजा श्री शिवनारायण उर्फ श्योनारायण उर्फ श्योकरण धर्मपत्नी श्री केसराराम, मेघवाल, रणजीतपुरा तहसील हनुमानगढ,
4. श्रीमती गोमाबाई आत्मजा श्री शिवनारायण उर्फ श्योनारायण उर्फ श्योकरण धर्मपत्नी श्री जगदीश, मेघवाल, हाकमाबाद तहसील सादूलशहर,
5. श्रीमती दर्शना आत्मजा श्री शिवनारायण उर्फ श्योनारायण उर्फ श्योकरण आत्मज श्री मामराज धर्मपत्नी श्री धर्मपाल, मेघवाल, जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ,
6. श्रीमती माया आत्मजा श्री शिवनारायण उर्फ श्योनारायण उर्फ श्योकरण पुत्र मामराज धर्मपत्नी श्री प्रभूराम, मेघवाल, उमांवाली तहसील पीलीबगा जिला हनुमानगढ
7. श्रीमती सुमित्रा आत्मजा श्री शिवनारायण उर्फ श्योनारायण उर्फ श्योकरण आत्मज श्री मामराज, धर्मपत्नी श्री सुरेशकुमार, मेघवाल, जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर.

.....अनावेदकगण

उपस्थिति– श्री सुभाष मिढ़ा (आवेदक)
श्री राजेश गुम्बर (अनावेदक–3से7)
श्री सुरेश 'अरोड़ा (अनावेदक–1)

दिनांक 16 जुलाई, 2018

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 28 जी.जी. तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 34 के 12.10 बीघा कृषि भूमि आवेदक संख्या 1 के दादा, आवेदक संख्या 3 व 4 के परदादा श्री मामराज को भारत पाक विभाजन पर पुर्नवास विभाग, भारत रकार द्वारा बतौर नॉन क्लेमेन्ट आवंटित की गयी जिसकी समस्त राशि स्व. श्री मामराज द्वारा जमा करवाकर भारत सरकार से निर्धारित प्रारूप मे अनुबन्ध श्री मामरज द्वारा

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

हस्ताक्षरित किया गया. इस प्रकार मामराज अकेला ही आवंटी एवं हकदार हुआ. श्री मामराज की मृत्यु सन् 1998 में हो गयी जिस पर प्रश्नगत कृषि भूमि उसके पुत्र सर्वश्री आत्माराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त हुआ. जिसमें से अनावेदक संख्या 1 के नाम पर चक 28 जी.जी. के खाता संख्या 58/45 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13/1, 14 एवं 17 की कुल 1.055 हैक्टर शेष भूमि श्री आत्माराम के नाम पर खाता संख्या 3/3 की 1.581 हैक्टर दर्ज की गयी. अनावेदक संख्या 1 तथा उसके पुत्रों आवेदक संख्या 1 एवं श्री कानाराम जिसके आवेदक संख्या 2 से 4 वारिसान हैं, का सयुंक्त हिन्दू खानदान होने से खाता संख्या 58/45, 58 की कुल 1.582 हैक्टर अनावेदक संख्या 1 के नाम पर संयुक्त हिन्दू खानदान के कर्ता एवं मुखिया होने के कारण पैतृक एवं अविभाजित सम्पत्ति के रूप मे दर्ज चली आ रही है जिसमें आवेदक संख्या 1 एवं स्व. श्री कानाराम बहिस्सा बराबर बराबर के हकदार बने क्योंकि अनावेदक संख्या 1 की पुत्रियां अनावेदक संख्या 3 से 7 द्वारा उनके विवाह इसी कृषि भूमि की आय से करने के कारण उनके द्वारा अपना हक व हिस्सा आवेदक संख्या 1 एवं स्व. श्री कानराम एवं अनावेदक संख्या 1 के हक में मौखिक पारिवारिक समझौता द्वारा छोड़ दिया गया. इस प्रकार अनावेदक संख्या 1 के नाम पर दर्ज उक्त 1.05 हैक्टर में आवेदक संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, आवेदक संख्या 2 से 4 का 1/3 हिस्सा एवं अनावेदक संख्या 1 का 1/3 हिस्सा बना जिसे स्वीकार करते हुऐ पारिवारिक समझौता द्वारा अनावेदक संख्या 1 द्वारा कब्जा भी आवेदकगण को 2/3 हिस्सा का दिया हुआ है जिस पर आवेदकगण काबिज चले आ रहे हैं. अनावेदक संख्या 1 कुछ गलत लोगों के प्रभाव में आकर गलत आदतों का शिकार हो रहा है जिन लोगों के प्रभाव में है वह अनावेदक संया 1 के नाम पर भूमि दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर उससे अन्तरित करवाकर भूमि को हड़प करना चाहते हैं तथा अनवेदक संख्या 1 भी राजस्व अभिलेखों मे उक्त भूमि उसके नाम पर संयुक्त खानदान की अविभाजित पैतृक सम्पत्ति के रूप में हिन्दू खानदान के मुख्या होने का अनुचित लाभ उठाकर प्रश्नगत कृषि भूमि को अन्तरित करने में प्रयासरत हैं यदि वह सफल हो जाता है तो आवेदकगण को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा वादपत्र का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा. तथा मौका पर कोई अप्रिय घटना घटित होकर जानमाल का नुकसान हो सता है इसलिये वादपत्र के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी न्यायहित में आवश्यक है. इस प्रकार चक 28 जी.जी. के खाता संया 58/45 मुरब्बा नम्बर 34 की 1.05 हैक्टर कृषि भूमि को विकय, बंधक अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित करने तथा आवेदकगण को जबरन बेदखल करने/करवाने तथा राजस्व अभिलेखों की यथास्थिति कायम रखने हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 28 जी.जी. की जमाबन्दी सम्बत् 2063–2066 की चित्रित प्रति संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक संख्या 1 एवं 3 से 7 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(पाट टेक) श्रीगंगानगर

अनावेदक संख्या 1 की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2017 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि अकेले मामराज को आंवटित न होकर पारिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर श्री मामराज, श्रीमती पानोदेवी एवं श्री शिवनारायण को आवंटित की गयी थी. जिसकी किश्तें तीनों व्यक्तियो द्वारा जमा करवायी गयी थी. सनद भी तीनों के नाम से जारी की गयी है. श्री मामराज की मृत्योपरान्त उक्त 12.10 बीघा कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा बतौर विरासतन प्राप्त नहीं होती. क्योंकि पुर्नवास विभाग, भारत सरकार द्वारा चक 28 जी.जी. तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 34 के 12.10 बीघा कृषि भूमि पारिवारिक सदस्यों की संख्या के आधार पर सर्वश्री मामराज, श्रीमती पानोदेवी एवं श्री शिवनारायण को बहिस्सा बराबर बराबर आवंटित की गयी थी. इस प्रकार श्री मामराज का 1/3 हिस्सा अर्थात 4.03 बीघा ही था जो उसकी मृत्योपरान्त उसके वारिसान के नाम पर दर्ज किया गया. श्री शिवनारायण, श्रीमती शान्ति, श्रीमती रामप्यारी, श्रीमती सुखीदेवी, श्रीमती विद्या, आत्माराम, श्रीमती इन्दिरादेवी इस प्रकार अनावेदक श्री शिवनारायण को श्री मामराज की 4.02½ में से 1/8 हिस्सा अर्थात 0.10 बीघा कृषि भूमि आयी. आवेदनपत्र में प्रश्नगत कृषि भूमि किसी भी दृष्टिकोण से पैतृक सम्पत्ति नही है न ही आवेदक एवं स्व. श्री कानाराम का उक्त भूमि में हक व हिस्सा ही बनता है और न ही अनावेदक संख्या 1 के जीवनकाल में आवेदकगण को उक्त भूमि में से कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार ही है. जब अनावेदक संख्या 1 के जीवनकाल में आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 3 से 7 का कोई हिस्सा ही नही बनता तो आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 3 से 7 द्वारा अपना अपना हक आवेदक संख्या 1 एवं आवेदक संख्या 2 से 4 के पिता के हक में छोड़ने का प्रश्न ही विद्यमान नहीं है. न तो आवेदकगण को 2/3 हिस्सा दिया गया. इस प्रकार के समस्त तथ्य वादहेतुक के निर्माण के उदृश्य से अंकित किये गये हैं. प्रश्नगत कृषि भूमि पर आज भी अनावेदक संख्या 1 स्वामी के रूप में काबिज है. तथा हिस्सा ठेका पर काश्त करवा रहा है. वह न तो गलत लोगों के प्रभाव में है और न ही गलत आदतों का ही शिकार है. आवेदकगण तो खाता विभाजन करवाने एवं न ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के ही अधिकारी हैं. क्योंकि प्रश्नगत कृषि भूमि स्वःर्जित कृषि भूमि है जिसमें अनावेदक संख्या 1 के जीवनकाल में आवेदकगण के अधिकार सृजित नहीं होते हैं. अन्य आपत्तियों में अंकित किया गया कि प्रश्नगत चक 28 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13/1, 14 एवं 17 की कुल 1.055 हैक्टर कृषि भूमि का अनावेदक संख्या 1 वास्तविक एवं एकल स्वामी है तथा नियमानुसार वास्तविक एवं एकल स्वामी के विरूद्व किसी भी प्रकार का अनुतोष उसके जीवनकाल में प्राप्त करने के आवेदकगण अधिकारी नहीं है. आवेदक संख्या 1 एवं 3 से 4 अपराधिक प्रवृति के हैं तथा नशा करने के अभ्यस्त है. अनावेदक संख्या 1 वृद्वावस्था में है तथा आवेदकगण अनावेदकगण संख्या 1 का जीवन निर्वाह न करके येनकेन पराकरेण उसे प्रताड़ित करते रहते हैं जिससे व्यथित होकर अनावेदक संख्या 1 अपनी पुत्रियों के पास निवास कर रहा है. जो उसका पालन पोषण कर रही हैं. प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति न होकर स्वःर्जित सम्पत्ति है इसलिये अनावेदक

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

संख्या 1 के जीवनकाल में आवेदकगण घोषणातमक वाद प्रस्तुत करने के ही अधिकारी नहीं है व न ही कब्जा के अभाव में आवेदकगण को वादपत्र प्रस्तुत करने की अधिकारिता ही है. आवेदकगण द्वारा अनावेदक संख्या 1 को तंग, परेशान करने के उदेश्य से झूठे तथ्यों के आधार पर आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है इसलिये अनावेदक संख्या 1 हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी है. इस प्रकार आवेदनपत्र. निरस्त करने का निवेदन किया गया. जवाब आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में राजस्व पटवारी द्वारा जारी पासबुक, पंजीबद्व दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रमाणपत्र की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अधिवक्ता आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टात कमशः

1992 RRD 0611 Mst. Maya Devi & ors vs Pathana Singh & ors
2012 RRD 0020 Jagdish Singh & Anr vs. Ram Karan & ors.
2016 RLW 1997 Chittar Mal & Anr vs. Smt. Chandra & ors.

का सम्मान अवलोकन किया गया.

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं कमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

प्रश्नगत कृषि भूमि श्रीमती पानो, मामराज एवं श्री शिवनारायण को नॉन क्लेमेन्ट के रूप में आवंटित की गयी है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि उक्त तीनों के नाम अलग अलग राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया. श्री ममराज के पश्चात विरासतन प्राप्त कृषि भूमि में से 7/8 हिस्सा की दस्तबरदारी श्री आत्माराम के नाम की गयी. इस प्रकार श्री मामराज के नाम दर्ज कृषि भूमि में से 1/8 हिस्सा ही श्री शिवनारायण को प्राप्त हुआ. किन्तु आवेदनपत्र में उल्लेखित 1.055 हैक्टर कृषि भूमि स्वयं श्री शिवनारायण को आवंटित है जिस पर वह काबिज है जिसका श्री शिवनारायण एकल स्वामी एवं अभिललिखित खातेदार है तथा विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार अभिलिखित खातेदार के विरूद्व किसी भी आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती. ऐसी स्थिति में, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति का बिन्दु आवेदकगण के पक्ष मे सिद्व होना नहीं पाया जाता.

अतः आवेदनपत्र अस्वीकार किया जाता है.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 16 जुलाई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती रीना छीम्पा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.